रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23112022-240508
CG-DL-E-23112022-240508

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 750]	**नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 23, 2022/अग्रहायण 2, 1944**
No. 750]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 23, 2022/AGRAHAYANA 2, 1944**

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2022

सा.का.नि. 841(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (योधक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 को, जहाँ तक उनका सम्बन्ध कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी), कांस्टेबल (धोबी/वाशरमैन) और कांस्टेबल (वार्ड बाय/वार्ड गर्ल) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें एसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में योधक पैरा चिकित्सीय समूह ('ग') पद पर भर्ती की पद्दति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**. – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, परा चिकित्सीय समूह 'ग' (योधक परा चिकित्सीय काडर) भर्ती नियम, 2022 है ।

   (2) ये, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. **लागू होना** – ये नियम, इन नियमों से उपाबद्द अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर,** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्द अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि,** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्दति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने एसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति,** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियो की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात एसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गो, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेश प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	**पदों की संख्या**	**वर्गीकरण**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	**चयन या अचयन पद**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.कांस्टेबल (सफाई कर्मचारी)	205***(2022)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ('ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रूपये21,700-69,100)	लागू नही होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं**	**सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक आर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नही**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो**
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच आवश्यक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के	आवश्यक आर्हताए- 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण । 2. अंग्रेजी या हिन्दी या स्थानीय भाषा पढने और लिखने का ज्ञान। 3.शारीरिक और चिकित्सा मानदंड (क) **ऊँचाई**:पुरूष के लिए:170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए: 157 सेंटीमीटर (ख) **छातीः** पुरूषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर का फुलाव महिलाओं के लिये लागू नहीं होगा । (ग) **वजन** – पुरूष औरमहिलाओ के लिए (चिकिस्ता मानदंडों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में)	लागू नही होता	दो वर्ष

लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विविह की गई है।)	(घ) **आँखों की दृष्टि**:- दोष सुधार के बिना अर्थात चश्मा या लेंस के बिना एक आँख की दूर की दृष्टि 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 होनी चाहिए । (ड) अभ्यर्थियों को सहतजानु सपाट पाँव, वरीकोस शिराएं या आंखो में भैगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ किसी अन्य एसे शारीरिक विकृत से मुक्त होने चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्तपन्न कर सकते है । **छूट**: अभ्यर्थियों को ऊँचाई और छाती में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुज्ञेय होगा:- ऊँचाई- (i)गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरी, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का लेह एव लद्दाख क्षेत्रो की न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी । (ii) **छाती** – गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैड अरूणाचल प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का लेह एव लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित पुरूष उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर सहित 05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होगा । अनुसूचित जनजातियां के सभी पुरूष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर सहित 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होगा। **शारीरिक दक्षता परीक्षण-** **(क) दौड**:- (i) पुरूष के लिए- 7.5 मिनट में 1 मील (ii) महिला के लिए- 6 मिनट में 800 मीटर **(ख) लम्बी कूद**:- (i) पुरूष के लिए -10 फुट (ii) महिला के लिए – 6 फुट **(ग) ऊँची कूदः-** (i) पुरूष के लिए – 3 फुट (ii) महिला के लिए- 2.5 फुट		

भर्ती की पद्धति: – भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियो द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संचना है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती के द्वारा	लागू नहीं होता	समूह (ग) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः- (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्षः (2) कमाण्डेन्ट (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- सदस्यः (3) उप कमाण्डेन्ट (ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमाण्डेन्ट (चिकिस्ता अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.कांस्टेबल (धोबी/वाशरमेन)	22***(2022)** *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ('ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रूपये21,700-69,100)	लागू नही होता

(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच आवश्यक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण :** आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, संघ	**आवश्यक आर्हताए-** 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अंग्रेजी या हिन्दी या स्थानीय भाषा पढने और लिखने का ज्ञान। 3.शारीरिक और चिकित्सा मानदंड (क) **ऊँचाई:** - पुरूष के लिए: 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए: 157 सेंटीमीटर (ख) **छाती** पुरूषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर का फुलाव महिलाओं के लिये लागू नहीं होगा। (ग) **वजन –** पुरूष औरमहिलाओ के लिए (चिकिस्ता मानदंडों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में)	लागू नही होता	दो वर्ष

राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विविह् की गई है।)	(घ) **आँखों की दृष्टि-** दोष सुधार के बिना अर्थात चश्मा या लेंस के बिना एक आँख की दूर की दृष्टि 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 होनी चाहिए । (ड) अभ्यर्थियों को सहतजानु सपाट पाँव, वरीकोस शिराएं या आंखो में भैगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ किसी अन्य एसे शारीरिक विकृत से मुक्त होने चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्तपन्न कर सकते है । **छूटः-** अभ्यर्थियों को ऊँचाई और छाती में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुज्ञेय होगा- **ऊँचाई-** (i) गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरी, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैंड अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का लेह एव लद्दाख क्षेत्रो की न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी । (ii) **छाती: –** गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैड अरूणाचल प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का लेह एव लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित पुरूष उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर सहित 05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होगा । अनुसूचित जनजातियां के सभी पुरूष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर सहित 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होगा। **शारीरिक दक्षता परीक्षण-** (क) **दौड**:- (i) पुरूष के लिए- 7.5 मिनट में 1 मील (ii) महिला के लिए- 6 मिनट में 800 मीटर (ख) **लम्बी कूद**:- (i) पुरूष के लिए -10 फुट (ii) महिला के लिए – 6 फुट (ग) **ऊँची कूदः-** (i) पुरूष के लिए – 3 फुट (ii) महिला के लिए- 2.5 फुट		

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती के द्वारा	लागू नहीं होता	**समूह (ग) विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-** (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - अध्यक्षः (2) कमाण्डेन्ट (मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चयन श्रेणी) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्यः (3) उप कमाण्डेन्ट (ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमाण्डेन्ट (चिकिस्ता अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्य	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3..कांस्टेबल (वार्ड ब्वाय/ वार्ड गर्ल)	84*(2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह ('ग') अराजपत्रित अननुसचिवीय (योधक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (रूपये21,700-69,100)	लागू नही होता

(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष के बीच आवश्यक। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है) **टिप्पण:** आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर नागालैड, त्रिपुरा, सिक्किम, लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र, हिमाचल प्रेदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप खंड, अंडमान और निकोबार द्वीप, संघ राज्य क्षेत्र या लक्षद्वीप, संघ राज्य क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विविह की गई है।)	**आवश्यक आर्हताए-** 1.किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण। 2. अंग्रेजी या हिन्दी या स्थानीय भाषा पढने और लिखने का ज्ञान। 3.शारीरिक और चिकित्सा मानदंड (क) **ऊँचाई** - पुरूष के लिए: 170 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए: 157 सेंटीमीटर (ख) **छाती** पुरूषों के लिए बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने पर – न्यूनतम 5 सेन्टीमीटर का फुलाव महिलाओं के लिये लागू नहीं होगा। (ग) **वजन** – पुरूष औरमहिलाओ के लिए (चिकिस्ता मानदंडों के अनुसार ऊँचाई और आयु के अनुपात में) (घ) आँखों की दृष्टि- दोष सुधार के बिना अर्थात चश्मा या लेंस के बिना एक आँख की दूर की दृष्टि 6/6 और दूसरी आँख की 6/9 होनी चाहिए। (ड) अभ्यर्थियों को सहतजानु सपाट पाँव, वरीकोस शिराएं या आंखो में भैगापन नहीं होना चाहिए और उच्च रंग दृष्टि होनी चाहिए तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ्य होने के साथ किसी अन्य एसे शारीरिक विकृत से मुक्त होने चाहिए जो कुशलतापूर्वक उनके दायित्वों का निर्वहन करने में बाधा उत्तपन्न कर सकते है। **छूट-** अभ्यर्थियों को ऊँचाई और छाती में निम्नलिखित अनुसार छूट अनुज्ञेय होगा- **ऊँचाई:-** (i) गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरी, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम,	लागू नही होता	दो वर्ष

	नागालैंड अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का लेह एव लद्दाख क्षेत्रो की न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 165 सेंटीमीटर तथा महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर होगी । अनुसूचित जनजातियों के सभी अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई पुरूषों के लिए 162.5 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर होगी । (ii) छाती: – गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, मराठा श्रेणियों में आने वाले और सिक्किम, नागालैड अरूणाचल प्रदेश मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू-कश्मीर के तहत कश्मीर क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख का लेह एव लद्दाख क्षेत्रो से संबंधित पुरूष उम्मीदवारों का न्यूनतम सीना 78 सेंटीमीटर सहित 05 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होगा । अनुसूचित जनजातियां के सभी पुरूष अभ्यार्थियों के लिए न्यूनतम सीना 76 सेंटीमीटर सहित 5 सेंटीमीटर का न्यूनतम फुलाव होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण:- (क) **दौड**:- (i) पुरूष के लिए- 7.5 मिनट में 1 मील (ii) महिला के लिए- 6 मिनट में 800 मीटर (ख) **लम्बी कूद**:- (i) पुरूष के लिए -10 फुट (ii) महिला के लिए – 6 फुट (ग) **ऊँची कूदः-** (i) पुरूष के लिए – 3 फुट (ii) महिला के लिए- 2.5 फुट		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50%रिमस्टरेशन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती के द्वारा ।	रि-मस्टरिंग – केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में अस्पताल के ऐसे कर्मचारिवृंद (कास्टेबल/रसोईया सेवा सफाई कर्मचारी, धोबी/वाशरमैन) में से ऐसे रिमस्टरिंग जिन्होने तीन वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सेंट जाँन एम्बुलेंस संगठन या रेड क्रॉस सोसाईटी ऑफ इण्डिया से प्राथमिक उपचार प्रमाणपत्र है। **टिप्पणः**- जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध मे जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है	**समूह (ग) विभागीय प्रोन्नति और पुष्टि समिति (रि-मस्टरिंग और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये पुष्टिकरण समिति) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगीः-** (1) उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल- अध्यक्षः (2) कमाण्डेन्ट(मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चयन श्रेणी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल – सदस्यः	लागू नहीं

	रि-मस्टरिंग के लिये विचार किया जा रहा हो वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबध में भी विचार किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा आधे से अधिक से कम न हो और जिन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो सफलतापूर्वक पूरी की हो।	(3) उप कमाण्डेन्ट (ज्येष्ठ चिकित्सा अधिकारी) या सहायक कमाण्डेन्ट (चिकित्सा अधिकारी), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल - सदस्यः	

[फा. सं. आर-नौ-1/2022-चिकि-1-केरिपुबल/गृह मंत्रालय (कार्मिक- दो)]

ललित कपूर, उप सचिव (कार्मिक-दो)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2022

G.S.R. 841(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub section (2) of section 18 of the Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949), and in supersession of the Central Reserve Police Force (Combatised Para Medical posts) Recruitment Rules, 2011, in so far as they relate to the posts of the Constable (Safai Karmchari), Constable (Dhobi/ Washerman) and Constable (Ward Boy/ Ward Girl)except as respects things done or omitted to be done before such suppression, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Combatised Para Medical Group (‘C’) posts, in the Central Reserve Police Force, namely: -

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the, Central Reserve Police Force, Group- ‘C’ (Combatised Para Medical Cadre) Recruitment Rules, 2022

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application**.– These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in the pay matrix**. – The number of posts, their classification, level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications etc.** – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** – No person, –

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.** –Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect of any class or category of person.

7. **Saving.** – Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward classes, Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post **Sl. No.**	**Number of post.**	**Classification**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
1. Constable (Safai Karamchari)	*205, (2022) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group ('C'), Non–Gazetted, Non Ministerial (Combatised)	Level 3 in the Pay Matrix (Rs. 21700 – 69,100/-)	Not applicable

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes.**	**Period of probation, if any.**
(6)	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.) **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, the Ladakh division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.	**Essential Qualification: -** 1. Matriculation pass or equivalent from a recognized Board. 2. Knowledge of reading and writing English or Hindi or local language. 3. Physical and Medical standard : (a) **Height:** For Male - 170 cms. For Female – 157 cms. (b) **Chest :** For Male: Unexpanded – 80 cms. and Expanded–Minimum expansion 5 cms. For Female – Not applicable. (c) **Weight:** For Male and Female: Proportionate to height and age as per medical standards. (d) **Eye Sight :** The minimum distance vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses. (e) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they shall possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties.	Not applicable	Two years

	Relaxation: The Relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows. - (i) **Height**: Minimum height of candidates failing the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh will be 165cms. For male and 155 cms for females. The minimum height for all candidates belongs to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 cms for females. (ii) **Chest**: The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh will be 78cms with minimum 5cms expansion. The minimum chest for all male candidates belonging to the Schedule Tribes will be 76cms with minimum 5cms expansion. **Physical Efficiency Test.-** **(a) Race;** (i) For Male: 1-mile in 7.5 minutes. (ii) For Female: 800 mtrs. In 6 minutes. **(b) Long Jump** (i) For Male : 10 feet (ii) For Female: 6 feet **(c) High Jump** (i) For Male: 3 feet (ii) For Female: 2.5 feet.		

Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	**In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made**
(10)	**(11)**
By Direct recruitment.	Not applicable.

If a Department Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances under which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	**(13)**
Group- 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force. -Chairman; (2) Commandant (Chief Medical Officer, Selection Grade), Central Reserve Police Force. -Member; (3) Deputy Commandant(Senior Medical Officer) or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force. -Member;	Not applicable**.**

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Constable (Dhobi/ Washerman)	* 22(2022) *Subject to variation depending on workload.	General Central Service Group 'C', Non –Gazetted, Non Ministerial (Combatised)	Level 3 in the Pay Matrix (Rs. 21700 – 69,100/-)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants and Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.	**Essential Qualification: -** 1. Matriculation pass from a recognized Board. 2. Not less than one-year experience as Dhobi/ Washerman. 3. Physical and Medical standard : (a) **Height:** For Male - 170 cms. For Female – 157 cms. (b) **Chest : ** For Male: Unexpanded – 80 cms. and Expanded–Minimum expansion 5 cms. For Female – Not applicable. (c) **Weight:** For Male and Female: Proportionate to height and age as per medical standards. (d) **Eye Sight :** The minimum distance vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses. (e) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they shall possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. **Relaxation**: The Relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows. -	Not applicable.	Two Years.

	(i) **Height**: Minimum height of candidates failing the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh will be 165cms. For male and 155 cms for females. The minimum height for all candidates belongs to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 cms for females. (ii) **Chest**: The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh will be 78cms with minimum 5cms expansion. The minimum chest for all male candidates belonging to the Schedule Tribes will be 76cms with minimum 5cms expansion. **Physical Efficiency Test.-** **(a) Race;** (i) For Male: 1-mile in 7.5 minutes. (ii) For Female: 800 mtrs. In 6 minutes. **(b) Long Jump** (i) For Male : 10 feet (ii) For Female: 6 feet **(c) High Jump** (i) For Male: 3 feet (ii) For Female: 2.5 feet.		

(10)	**(11)**
By Direct recruitment.	Not applicable.
(12)	**(13)**
Group- 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of: - 1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force. -Chairman; (2) Commandant (Chief Medical Officer, Selection Grade), Central Reserve Police Force. -Member; (3) Deputy Commandant(Senior Medical Officer) or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force. -Member;	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Constable (Ward Boy/ Ward Girl)	*84 (2022) *Subject to variation depending on workload in future	General, Central Service, Group 'C' Non – Gazetted, Non Ministerial (Combatised)	Level- 3 in the Pay Matrix (Rs. 21,700 –69,100/-)	Not applicable

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 25 years. (Relaxable for Government servants and Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.) Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur Nagaland, Tripura, Sikkim, the Ladakh division of Union Territory of Ladakh, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Island and the Union territory of Lakshadweep.	**Essential Qualification: -** 1. Matriculation pass from a recognized Board. 2. Possessing First Aid certificate from St. John Ambulance Organization or Red Cross Society of India. 3. Physical and Medical standard: (a) **Height:** For Male - 170 cms. For Female – 157 cms. (b) **Chest :** For Male: Unexpanded – 80 cms. and Expanded–Minimum expansion 5 cms. For Female – Not applicable. (c) **Weight:** For Male and Female: Proportionate to height and age as per medical standards. (d) **Eye Sight :** The minimum distance vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction i.e. without wearing glasses. (e) The candidates must not have knock knee, flat foot, varicose vein or squint in eyes and they shall possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect which likely to interfere with the efficient performance of the duties. **Relaxation**: The Relaxation will be permissible in height and chest to the candidates as follows. - (i) **Height**: Minimum height of candidates failing the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh will be	Not applicable	Two years.

	165cms. For male and 155 cms. for females. The minimum height for all candidates belongs to the Scheduled Tribes will be 162.5 cms for males and 150 cms. for females. ii) **Chest**: The minimum chest of male candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the States of Sikkim, Nagaland, Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Mizoram, Meghalaya, Assam, Himachal Pradesh, Kashmir Region under Union Territory of Jammu and Kashmir and Leh and Ladakh Regions of Union Territory of Ladakh will be 78cms with minimum 5cms expansion. The minimum chest for all male candidates belonging to the Schedule Tribes will be 76cms with minimum 5cms expansion. **Physical Efficiency Test.-** **(a) Race;** (i) For Male: 1-mile in 7.5 minutes. (ii) For Female: 800 mtrs. In 6 minutes. **(b) Long Jump** (i) For Male: 10 feet (ii) For Female: 6 feet **(c) High Jump** (i) For Male: 3 feet (ii) For Female: 2.5 feet.		

(10)	**(11)**
(i) 50% by direct recruitment and (ii) 50% by remustration failing which by direct recruitment.	**Re-mustering:** Re-mustering from amongst hospital staff (Constable/ Kitchen Service, Safai Karmchari, Dhobi/Washerman with three years of regular service in Central Reserve Police Force and possessing First Aid certificate from St. John Ambulance Organisation or Red Cross Society of India. **Note.**–Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for remastering, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than one year and have successfully completed their probation period, if prescribed.

(12)	(13)
Group- ‘C’ Departmental Promotion and Confirmation Committee (for considering Re-mustering and Confirmation) consisting of: - (1) Deputy Inspector General (Medical), Central Reserve Police Force. -Chairman; (2) Commandant (Chief Medical Officer, Selection Grade), Central Reserve Police Force. -Member; (3) Deputy Commandant (Senior Medical Officer) or Assistant Commandant (Medical Officer), Central Reserve Police Force. -Member;	Not applicable.

[F. No. R. IX. 1/2020. Med. I- CRPF/MHA (Pers-II)]

LALIT KAPOOR, Dy. Secy. (Pers-II)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.